राजस्थान सरकार
आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

पत्रांक एफ 1(2)आप्र एवं सहा/पाला/2010/3986-4042 जयपुर,दिनांकः– 25-3-2012

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– शीतलहर एवं पाला से प्रभावित कृषकों के लिए सहायता पैकेज।

राज्य में रबी फसल,संवत 2068 (सन् 2012) में शीतलहर एवं पाले से हुई क्षति से प्रभावित कृषकों को राहत पहुँचाने हेतु राज्य सरकार ने निम्नानुसार सहायता पैकेज घोषित किया है:–

(अ) रबी गिरदावरी के आधार पर जिन काश्तकारों की बोई गई फसलों का 50 प्रतिशत एवं इससे से अधिक नुकसान हुआ है उनमें सीमांत काश्तकारों को अधिकतम एक हैक्टयर तक तथा लघु काश्तकारों को अधिकतम दो हैक्टयर तक एवं सीमांत एवं लघु से अन्य 5 हैक्टयर की जोत सीमा तक के वृहत काश्तकारों को भारत सरकार द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2012 को जारी एनडीआरएफ/एसडीआरएफ मापदंड अनुसार कृषि आदान अनुदान भूमि धारिता के अनुपातिक तौर पर देय होगाजिसका विवरण निम्नानुसार हैं:–

असिंचित फसल पर – 3000/–रूपये प्रति हैक्टयर

सिंचित फसल पर – डीजल इंजन से सिंचित 8000/–रूपये प्रति हैक्टयर

बिजली के कुओं व नहर से सिंचित – 6000/–रूपये प्रति हैक्टयर

(ब) बोई गई फसल में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले लघु एवं सीमांत कृषकों के लिए 4 माह का बिजली का बिल माफ किया जायेगा।

(स) जिन गांवों में 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक का नुकसान है उन गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाकर भू–राजस्व स्थगित किया जायेगा तथा उपरोक्तानुसार प्रभावित काश्तकारों के अल्पकालीन सहकारी ऋणों को, काश्तकारों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उसे मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(द) 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक खराबा वाले प्रभावित काश्तकारों का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा।

(य) किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि सीमान्त एवं लघु कृषकों के लिए धारित रकबा के अनुसार हो, तो उसे लघु, सीमांत कृषक के अनुसार कृषि आदान–अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

(र) राहत पैकेज में घोषित सहायता उन कृषकों को भी दी जायेगी जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है पर जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बांटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान बोई गई भूमि के खातेदार से 5/–रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु संबंधित तहसीलदार व पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

(ल) जिला कलक्टर द्वारा कृषि आदान–अनुदान से संबंधित सहायता राशि जिलों में स्थित सहकारिता विभाग के सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक के माध्यम से प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों में तथा जिन काश्तकारों का खाता नहीं हो उनका खाता खुलवाकर उसी में हस्तान्तरित की जायेगी।

सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार कृषकों को नियमानुसार राहत प्रदान करें एवं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

25/3/12
शासन सचिव
आ0प्र0 एवं सहायता

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री
3. निजी सचिव, ऊर्जा मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, माननीय गृह राज्य मन्त्री
5. निजी सचिव माननीय राज्य मंत्री आपदा प्रबन्धन एवं सहायता
6. उप सचिव, मुख्य सचिव
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव(विकास)/कृषि एवं उद्यानिकी विभाग
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,जल संसाधन विभाग
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग
15. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग
16. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
17. समस्त संभागीय आयुक्त
18. मुख्य लेखाधिकारी आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

25/3/2012
शासन उप सचिव